रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1610] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2010/श्रावण 14, 1932

No. 1610] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2010/SHRAVANA 14, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2010

का.आ. 1919(अ).—केन्द्र सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 22) की धारा 2(ग) के साथ पठित धारा 5(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 5 फरवरी, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्री देवेन्द्र सिंह, निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस मंत्रालय और इस मंत्रालय के संरक्षण के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों के संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करती है । वह इस मंत्रालय के संरक्षण के अधीन जन प्राधिकारियों द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों का समन्वयन भी करेंगे तथा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ कार्य कर रहे केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) तथा सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (एसीपीआईओ) को नामोद्दिष्ट करने के बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत जन प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों का समन्वय भी न करेंगे ।

2. सभी अवर सचिवों/डैस्क अधिकारियों/उप निदेशकों/समकक्ष अधिकारियों को एतद्द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में संबंधित प्रभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है ।

3. नोडल अधिकारी के साथ आरटीआई एण्ड एल प्रकोष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सभी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की तरफ से अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु प्राधिकारी के साथ केन्द्रीय बिन्दु होंगे तथा उन्हें संबंधित जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित करेंगे । श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उचित रसीद के माध्यम से नकद अथवा वेतन एवं लेखा अधिकारी (मुख्य सचिवालय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा दस (10) रुपये के आवेदन शुल्क के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नोडल अधिकारी/निदेशक श्री देवेन्द्र सिंह, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएं ।

4. श्री एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार तुरंत प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ अधिकारी होंगे ।

5. यह सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[फा. सं. जैड-20025/18/2005-प्रशा. 1]

ए. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2010

S.O. 1919(E).—In exercise of the powers conferred under Section 5(1) read with section 2(C) of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), and in supersession of Notification of even number dated 5th February, 2009, the Central Government in the Ministry of Labour and Employment designate Shri Devender Singh, Director, Ministry of Labour and Employment as Nodal Officer for the purpose of Right to Information Act, 2005 in respect to this Ministry and Attached Offices/Autonomous Organizations under the aegis of this Ministry. He will also co-ordinate all actions taken up by the public authorities under the aegis of this Ministry and will also coordinate all actions taken up by the public authorities under the Ministry of Labour and Employment regarding designating the CPIOs and ACPIOs for carrying out the purpose of the said Act.

2. All under Secretaries/Desk Officers/Deputy Directors/Equivalent Officers are hereby designated as Central Public Information Officer (CPIO) of the respective division in respect of the work handled by them.

3. RTI & L Cell along with the Nodal Officer will be the Central point with the authority to receive the requests under the RTI Act, 2005 on behalf of all CPIOs and forward the same to the concerned CPIO. A request for obtaining information pertaining to Ministry of Labour & Employment (Main Sectt.) under sub-section (1) of Section 6 shall be accompanied by an application fee of Rupees ten (10) by way of cash through proper receipt or by Demand Draft or Bankers Cheque or Indian Postal Order payable to PAO (MS), Ministry of Labour & Employment and sent to Shri Devender Singh, Director/Nodal Officer under the RTI Act, 2005, Ministry of Labour & Employment, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

4. Shri S.K. Dev Verman, Joint Secretary to the Government of India shall be Senior Officer for the purpose of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 with respect to Ministry of Labour & Employment (Main Sectt.), with immediate effect and until further orders.

5. This issues with the approval of Secretary, Ministry of Labour and Employment.

[F. No. Z-20025/18/2005-Adm. I]

A. C. PANDEY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.